Regd. No. CHD/0093/2012-2014

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

CHANDIGARH, THURSDAY, FEBRUARY 20, 2014
(PHALGUNA 1, 1935 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 20th February, 2014

No. 1—HLA of 2014/2.—The East Punjab Utilization pf Lands (Haryana Amendment) Bill, 2014 is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :—

Bill No. 1—HLA of 2014

THE EAST PUNJAB UTILIZATION OF LANDS (HARYANA AMENDMENT) BILL, 2014

A

BILL

further to amend the East Punjab Utilization of Lands Act, 1949 in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows :-

1. (1) This Act may be called the East Punjab Utilization of Lands (Haryana Amendment) Act, 2014. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force with effect from the 24th September, 1986.

Amendment of section 5 of Punjab Act 38 of 1949

2. For section 5 of the East Punjab Utilization of Lands Act, 1949 (hereinafter called the principal Act), the following section shall be substituted, namely:–

"5. Where the Collector has taken possession of any land under section 3, he may lease or renew the lease to any person on such terms and conditions, as he may deem fit, for the purpose of growing any type of crop :

Provided that the Collector may renew the lease, which expired on or before the 24th September, 1986, and the lessee is in cultivating possession of the land belonging to State Government or Gram Panchayat, as the case may be :

Provided further that the period of lease shall not be less than seven years and more than ninety-nine years in totality:

Provided further that the Collector shall take the use and occupation charges from lessee for the period from expiry of lease till its renewal.

Explanation I.– For the purposes of this section, the words "any person" shall mean a person himself who was granted lease by the Collector on or before the 24th September, 1986 under the provision of this Act, or his legal heir.

Explanation II.– The cultivating possession of the lessee shall be ascertained on or before the 24th September, 1986.".

Amendment of section 8 of Punjab Act 38 of 1949

3. In section 8 of the principal Act, for the words "food or fodder crops", the words "any type of crop" shall be substituted.

Repeal and savings

4. (1) The East Punjab Utilization of Lands (Haryana Amendment) Ordinance, 2013 (Haryana Ordinance No. 4 of 2013), is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act, as amended by the said Ordinance, shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The object and purpose of the Bill, is to rehabilitate the landless persons who were given the lands on lease, which remained un-cultivable for six or more harvests, under the East Punjab Utilization of Lands Act, 1949. Most of these lessees are small or marginal farmers. In order to mitigate the misery of their indigent families, it has been thought fit to lease them the land of which they are actual tillers but on the expiry of lease period on or before 24-09-1986 they are likely to be evicted at different point of time due to Court orders. Hon'ble Supreme Court of India on 24-09-1986, in a case, Bodhni Chaman Ex-Servicemen Co-operative Tenants Farming Society Limited etc. *Versus* State of Haryana and others had also observed that Government may allot another piece of land elsewhere to the petitioners considering their pitiable condition. These lessees are in a state of acute hardship as a result of their displacement from the land which they are cultivating since the inception of the lease and are contributing to the national food security. These persons have been rendering their services to the society as a whole and also retaining the land for subsistence but they were liable to be evicted in view of the expiry of lease period. It may also be mentioned here that under the provisions of East Punjab Utilization of Lands Act, 1949, they were given the non-harvested and uncultivable land for attaining self-sufficiency in food and fodder crops. Therefore, their hard work for generations could not be negated and a welfare State should not abdicate from its responsibilities. To provide relief to such persons it has been necessitated to continue or renew their lease, which may be extended up to a maximum period of 99 years. Since they had made vast improvement in these holdings/land by clearing the Jungles and leveling the undulated terrains, it has been felt that the extension/grant of lease would meet the ends of justice. However, the lessee shall be liable to pay the use and occupation charges for the period they remained in possession of the land even after the expiry of their lease period till the issuance of lease to be renewed by the Collector. The above said amendments had been made with retrospective effect *i.e.* 24-09-1986, *i.e.* from the date of decision of Hon'ble Supreme Court in case Bodhni Chaman Ex-Servicemen Co-operative Tenants Farming Society Limited etc. *Versus* State of Haryana and others, as the eviction of these tillers was inevitable on the expiry of the lease and also the settlement of Dispute up to the Apex Court. Further the scope of the lease from growing food and fodder crops to any type of crop either food and fodder crops or any commercial crop needs to be expanded as it is the need of the hour due to emergence of various types of crop varieties over a period of time.

MAHENDER PARTAP SINGH,
Revenue Minister, Haryana.

Chandigarh :
The 20th February, 2014.

SUMIT KUMAR,
Secretary.

(प्राधिकृत अनुवाद)

2014 का विधेयक संख्या 1 - एच०एल०ए०

पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग (हरियाणा संशोधन) विधेयक, 2014

पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम, 1949, हरियाणा राज्यार्थ, को आगे संशोधित करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

1. (1) यह अधिनियम पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जा सकता है।

(2) यह 24 सितम्बर, 1986 से लागू हुआ समझा जाएगा।

पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम, 1949 की धारा 5 का संशोधन।

2. पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम, 1949 (जिसे इसमें, इसके बाद मूल अधिनियम कहा गया है), की धारा 5 के स्थान पर, निम्नलिखित धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात :—

"5. जहां कलक्टर ने धारा 3 के अधीन किसी भूमि का कब्जा लिया है, वहां वह किसी भी किस्म की फसल उगाने के प्रयोजन के लिए, किसी व्यक्ति को ऐसे निबन्धनों तथा शर्तों पर, जैसा वह ठीक समझे, पट्टे पर दे सकता है या पट्टा नवीकरण कर सकता है:

परन्तु कलक्टर, पट्टा जो 24 सितम्बर, 1986 को या से पहले समाप्त हो गया है और राज्य सरकार या ग्राम पंचायत, जैसी भी स्थिति हो, से सम्बन्धित भूमि खेती करने वाले पट्टाधारी के कब्जे में है, को नवीकरण कर सकता है

परन्तु यह और कि पट्टे की अवधि कुल मिलाकर सात वर्ष से कम तथा निन्यानवे वर्ष से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह और कि कलक्टर पट्टाधारी से पट्टे की समाप्ति से इसके नवीकरण तक की अवधि के लिए उपयोग और अधिभोग प्रभार ले सकता है।

व्याख्या I.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, "किसी व्यक्ति" शब्दों से अभिप्राय होगा, व्यक्ति स्वयं जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन 24 सितम्बर, 1986 को या से पहले कलक्टर द्वारा पट्टा दिया गया था, या उसका विधिक वारिस।

व्याख्या II.— खेती करने वाले पट्टाधारी का कब्जा 24 सितम्बर, 1986 को या से पहले अभिनिश्चित होगा।"।

3. मूल अधिनियम की धारा 8 मे "खाद्यान्न या चारे की फसल" शब्दो के स्थान पर, "किसी भी किस्म की फसल" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे। [illegible] अधिनियम 10 की धारा 8 का संशोधन

4. (1) पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग (हरियाणा संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का हरियाणा अध्यादेश संख्या 4), इसके द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन तथा [illegible]

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश द्वारा यथा सशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा यथा सशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

इस बिल का उद्देश्य भूमिहीन व्यक्तियों, जिन्हे पट्टे पर भूमि दी गई थी और पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम 1949 के तहत जिनकी भूमि 6 या इससे अधिक की फसल अवधि के समय से बिना जुताई/बिजाई के पड़ी है, का पुनर्वास करना है। ये अधिकांश पट्टेदार छोटे या सीमांत किसान हैं। इन निर्धन परिवारों के दुखों को कम करने के लिए इस भूमि को उन्हें पट्टे पर देना उचित समझा गया, जिस भूमि के वे वास्तविक जोतक हैं परन्तु 24 सितम्बर, 1986 को या इससे पूर्व पट्टा अवधि समाप्त हो जाने पर उन्हे अदालती आदेश के कारण अलग-अलग समय पर इस भूमि से बेदखल किया गया। 24 सितम्बर, 1986 को भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बोधनी वर्मन, भूतपूर्व सैनिक, को-ओप्रेटिव टेनैंट्स फार्मिंग सोसाइटी लिमिटेड इत्यादि बनाम हरियाणा राज्य व अन्य के मामले मे भी यह पाया कि सरकार उनकी दयनीय स्थिति को देखते हुए याचिकाकर्ताओं को किसी दूसरी जगह पर भूमि आवंटित कर सकती है। ये किसान जिस भूमि पर पटटा की शुरूआत होने से ही खेती कर रहे हैं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में योगदान दे रहे हैं उसी भूमि से विस्थापित होने के परिणामस्वरूप इन पट्टाधारकों की स्थिति दयनीय हो गई है। इन लोगों द्वारा समग्र रूप से समाज को अपनी सेवाएं दी जा रही है और वे इस भूमि पर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं परन्तु पट्टा अवधि समाप्त होने के दृष्टिगत उन्हें बेदखल किया गया है। यहां इस बात का उल्लेख भी किया जाता है कि पूर्वी पंजाब भूमि उपयोग अधिनियम 1949 के प्रावधानों के तहत उन्हे अनाज व चारा फसल हासिल करने के लिए गैर कृषि योग्य भूमि दी गई थी। इसलिए पैदावार लेने के लिए उनकी मेहनत को अनदेखा नही किया जा सकता और एक कल्याणकारी राज्य को अपने दायित्व को नहीं त्यागना चाहिए। ऐसे लोगों को राहत देने के लिए उनके पट्टे का नवीनीकरण करना या उसे जारी रखना आवश्यक हो जाता है जिसे अधिकतम 99 वर्षों की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है क्योंकि उन्होंने जंगलों को साफ करके उबड-खाबड़ भूमि को समतल करके इस भूमि को कृषि योग्य बनाने के लिए इसमें व्यापक सुधार किया है। यह महसूस किया गया है कि पट्टे का विस्तार करने से लोगो को न्याय मिलेगा। बहरहाल, पट्टाधारकों को उस अवधि के लिए उपयोग एवं व्यावसायिक शुल्कों की अदायगी करनी होगी, जिस अवधि में वे अपनी पट्टा अवधि समाप्त होने के बाद भी कलैक्टर द्वारा नवीनीकृत पट्टा जारी करने तक उस पर काबिज रहे। उपरोक्त संशोधन पूर्वव्यापी तिथि यानी 24 सितम्बर 1986 यानी बोधनी वर्मन भूतपूर्व सैनिक, को ओप्रेटिव टेनैंट्स

फार्मिंग सोसाइटी लिमिटेड इत्यादि बनाम हरियाणा राज्य व अन्य के मामले मे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की तिथि से प्रभावी हो गए है क्योंकि पट्टा अवधि समाप्त होने पर इन किसानो की बेदखली और अपेक्स अदालत में इस विवाद का निपटान करना भी अपरिहार्य हो गया था। क्योंकि विभिन्न समय पर विभिन्न प्रकार की फसल किस्म की पैदावार लिये जाने के कारण यह समय की मांग है कि किसी भी प्रकार के अनाज और चारा फसले पैदा करने या किसी वाणिज्यिक फसल के लिए पट्टा दायरे में विस्तार किया जाना आवश्यक हो जाता है।

महेन्द्र प्रताप सिंह,
राजस्व मन्त्री, हरियाणा।

चण्डीगढ़ :
दिनांक 20 फरवरी, 2014

सुमित कुमार,
सचिव।

52030—H.V.S.—H.G.P., Chd